न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम नं. 2024/319

मुकदमा नम्बर 63/2024 दर्ज दिनांक–02.07.2024

1. लाड कंवर पत्नी सवाई सिंह
2. सतपाल सिंह पुत्र सवाई सिंह
3. बजरंग सिह पुत्र सवाई सिंह
4. रामस्वरूप सिंह पुत्र सवाई सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सोटवारां तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

– आवेदक

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र भादर सिंह राजपूत निवासी सोटवारां तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लि. मुकुन्दगढ, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
3. अधिशांषी अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लि. मुकुन्दगढ, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
4. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय मुकुन्दगढ,
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ, जिला झुझुंनू

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पण्डित, तेजपाल सिंह
वकील अनावेदक 1 :–श्री प्रदीप झाझडिया
वकील अनावेदक सं. 2 व 3:– श्री राजीव सिंह शेखावत
वकील अनावेदक सं. 4:– एक पक्षीय
वकील अनावेदक सं. 5:– पैरो. राज.

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधज्ञा
अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 02.01.2025

आवेदक द्वारा प्रा0 पत्र बाबत् अस्थाई निषेधज्ञा अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया कि, ग्राम सोटवारां में खाता सं. 129 भूमि खसरा नं. 489 रकबा 1.08 है0, भूमि खाता सं. 130 खसरा नं. 149 रकबा 1.89 है0, भूमि खाता सं. 131 खसरा नं. 473 रकबा 3.91 है0, भूमि खाता सं. 258 खसरा नं. 472 रकबा 0.24 है0, खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

481 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 487 रकबा 5.32 है0, खसरा नं. 490 रकबा 1.64 है0, खसरा नं. 491 रकबा 1.32 है0 ख्सरा नं. 492 रकबा 1.51 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 10.13 है0 का एक वाद उनवानी लाड कंवर वगै. बनाम कल्याण सिंह वगै0 का माननीय न्यायालय में पेश किया है जो काफी मजबूत आधारो पर पेश किया है।

विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद उनवानी श्रवण सिंह बनाम भंवर सिंह पेश किय गया जिसका दिनांक 09.10.2001 को निर्णय मय डिक्री जारी की गई तथा निर्णय मय डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। यहॉ यह दर्ज किया जा रहा है कि,भूमि खसरा नं. 143/1 रकबा 5 बीघा 15 विश्वा पुख्ता , खसरा नं. 144 रकबा 11 बीघा 4 विश्वा पुख्ता वादीगण के पूर्वज बच्चन सिंह पुत्र जमन सिंह की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है, जिसका उपरोक्त उनवानी वाद के द्वारा गलत रूप से निर्णय पारित करने पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत निर्णय के आधार पर अमल दरामद किया गया। उपरोक्त खसरा नं. की भूमि के निर्णय के उपरान्त भूमि खसरा नं. 486,492,773/491 आवेदकगण के पूर्वज सवाई सिंह के नाम ,भूमि खसरा नं. 472,481,487,489,742/486 भंवर सिंह , रघुवीर सिंह, श्रवण सिंह , सुरज कंवर के नाम 149,473 बीरबल सिंह के नाम 474,753/147 समद्र सिंह के नाम तथा 490, 491,741/473 अनावेदक कल्याण सिंह के नाम दर्ज कर दी गई।

आवेदकगण ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री दिनांक 09.10.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुझुंनू में पेश की , जिसकी अपील सं. 193/2001 है, उक्त अपील वाद सुनवाई स्वीकार हुई तथा श्रीमान् का निर्णय दिनांक 09.10. 2001 को निरस्त किया गया जो श्रीमान् के न्यायालय में पुनः दर्ज होकर विचाराधीन है। परन्तु उक्त निर्णय के आधार पर प्रार्थना पत्र कि मद सं. 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया। निर्णय दिनांक 09.10.2001 के खारिज होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया परिवर्तन/अंकन भी कानूनी निष्प्रभावी हो जाता है। आवेदकगण की और से धारा 144 के तहत प्रा. पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा निर्णय दिनांक 09.10.2001 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये अंकन को परिवर्तन कर पूर्व स्थिति कायम करने की तहरीर जारी की गई, परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड में पूर्व स्थिति कायम नही की गई है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व स्थिति कायम नही किये जाने के कारण अनावेदक के मन मे बदनियति आ गई है। अनावेदक सं. 1 को इस तथ्य की जानकारी भी है। आवेदक के हक अधिकार की भूमि को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विक्रय व हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा अनावेदक सं. 2 व 3 से उपरोक्त खसरा नं. की भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की गरज से विधुत सबंध स्थापित करवाने की फिराक में है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

इसलिये अनावेदक सं. 1 को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावें की गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में अनावेदक सं. 1 भूमि खसरा नं. 490 रकबा 1.64 है0, खसरा नं. 491 रकबा 0.22 है0 को किसी भी दीगर व्यक्ति को विक्रय व हस्तान्तरित नही करें आवेदकगण के हक अधिकार की भूमि पर अनावेदक सं. 2 व 3 के कार्यालय से विधुत सम्बंध स्थापित नही करवाये और ना ही अनावेदक सं. 2 व 3 अनावेदक सं. 1 के पक्ष में विधुत सबंध जारी करे। अनावेदक सं. 4 को भी अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे की अनावेदक सं 1 प्रश्नगत सम्पत्ति के सबंध में कोई हस्तान्तरण का दस्तावेज प्रस्तुत करे तो उसे पंजीकृत नही करे।

उक्त खसरा नं. की भूमि वादी के हक अधिकार की है इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष में है। यदि अनावेदक सं. 1 विवादित भूमि का किसी प्रकार से विक्रय करता है तो अपूर्णिय श्रति भी आवेदकगण को होगी।

इसलिये सोटवारां पटवार हल्का सोटवारां की सरहद में नई खाता सं. 38 की भूमि खसरा नं. 490 रकबा 1.64 है0, खसरा नं. 491 रकबा 0.22 है0 के सबंध में ताफैसला दावा अनावेदकगण को मौके एंव रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई तथा प्रकरण में पृथम दृष्ट्या अन्तिरिम अस्थाई निषेधज्ञा के आदेश दिये गये है।

अनावेदक सं. 1 की और से जरिये वकील उपस्थित हो निम्न प्रकार से जवाब प्रा.पत्र पेश किया गयाः–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र गलत आधारो पर पेश किया गया है। वर्णित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा मे दावा उनवानी श्रवणसिंह बनाम भंवर सिंह पेश किया जाना उसमे दिनांक 09.10.2001 को निर्णय व डिक्री पारित किया जाना व निर्णय व डिक्री अनुसार राजसव रिकार्ड में अंकन होना स्वीकार है। भूमि पुराने खसरा नं. 135/2 रकबा 21 बिघा 8 विश्वा , खसरा नं. 143/1 रकबा 5 बिघा 15 विश्वा , खसरा नं. 144 रकबा 11 बीघा 4 विश्वा आवेदकगण के पूवर्ज बच्चन सिंह पुत्र जमन सिंह की भूमि नही रही है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन दावा उनवानी श्रवण सिंह बनाम भंवर सिंह सन् 2001 में प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान कैम्प सोटवारा में उक्त दावे के पक्षकारान में आपस मे राजीनामा होकर लिखित में राजीनामा उक्त कैम्प सोटवारा में दिनांक 09.10.2001 को पेश होने पर उक्त राजीनामें के आधार पर निर्णय व डिक्री का आदेश हुआ है। उक्त राजीनामें के अनुसार राजस्व रिकार्ड में क्रियान्विति होकर प्रभाव में है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2001 के आधार पर भूमि खसरा नं. 486 रकबा 4.85 है0,खसरा नं. 492 रकबा 1.51 है0, खसरा नं. 743/491 रकबा 1.10 है0 आवेदक सं. 1 के पति व आवेदक सं. 2 लगा. 4 के पिता सवाई सिंह के हक हिस्से में होने से उनके एक हिस्से के अनुसार अलग से जमाबन्दी बनकर अलग राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ। उकत खसरा नं. 486 रकबा 4.85 है0 में से 0.12 है0 भूमि रास्ते के रूप में स्वंय आवेदक सं. 1 के पति व आवेदक सं. 2 लगा. 4 के पिता सवाई सिंह ने

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

तहसीलदार नवलगढ के यहॉ समर्पण कर 0.12 है0 भूमि खसरा नं. 754/786 रकबा 0.12 है0 रास्ते के रूप मे रकबा राज नामान्तकरण सं. 388 दिनांक 25/5/2003 से दर्ज हुआ, तद्पश्चात् आवेदकगण, आवेदकगण के पूर्वज सवाई सिंह ने उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा कर बन्द कर दिया तब अनावेदकगण सं. 1 ने सक्षम अधिकारी तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की तो नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ आवेदकगण के पूर्वज सवाई सिंह के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर रास्ता खुलवाया था। उपरोक्त राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर ही भूमि खसरा नं. 472,481,487,489,742/486 भंवर सिंह ,रघुवीर सिंह, सुरजकंवर, के नपाम खसरा नं. 149,473 बिरबल सिंह के नाम खसरा नं. 474,753/147 समद्र सिंह के नाम, एंव खसरा नं. 490,491,741/473 प्रतिवादी सं. 1 कल्याणसिंह के नाम से दर्ज की गई है। उक्त लिखित राजीनामा दिनांक 09.10.2001 को दावे के पक्षकारों ने कभी नकारा नही है और ना ही पक्षकारान ने उक्त राजीनामे को सक्षम न्यायालय मे चुनौति दी जाकर निरस्त करवाया है। उक्त राजीनामे से सभी पक्षकार पाबन्द है। इसलिये उक्त राजीनमा पक्षकार विबन्ध के सिद्वान्त से पाबन्द है। आवेदकगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर वाद/प्रा. पत्र पेश किया है जो निरस्त योग्य है। अपील सं. 193/2001 जो न्यायालय के निर्णय 09.10.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में पक्षकारान द्वारा राजीनामा दिनांक 09.10.2001 को कोई चुनौति नही दी गई थी और न ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा वाद में किये गये राजीनामा को निरस्त किया है। बल्कि अपीलीय न्यायालय ने विधि विरूद्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2001 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया है। उक्त प्रकरण विचाराधीन रहते नया वाद व प्रा. पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है, इसलिये आवेदगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र विधि विरूद्व होने से पोषणीय नही है। लिखित राजीनामा, राजीनामा के पक्षकारान के विरूद्व विबन्धकारी है। इसलिये कोई निषेधज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदक को उक्त वाद/प्रा. पत्र पेश करने का कोई वादकारण नही है इसलिये भी प्रा. पत्र खारिज योग्य है। आवेदकगण ने प्रस्तुत वाद में प्रा. पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी के सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है और ना ही पूर्व से विचाराधीन वाद श्रवण सिंह बनाम भंवर सिंह मु. नं. 142/2022 को पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार थें इसलिये प्रा. पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव मे पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

आवेदक सं. 1 के पति व आवेदक सं. 2 लगा. 4 के पिता सवाई सिंह ने पूर्व में उक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय हाजा में एक प्रा. पत्र बाबत् अस्थाई निषेधज्ञा मु. नं. 21/2016 सवाई सिंह बनाम कल्याण सिंह प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय हाजा ने दिनांक 20.07.2018 को खारिज कर दिया है। अब वादीगण को उन्ही आधारों पर नया वाद/प्रा.पत्र प्रस्तुत करने का कोई आधार नही है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

अनावेदक सं. 2 व 3 की और से जरिये वकील जवाब प्रा.पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया:–

अनावेदक सं. 1 द्वारा अनावेदक सं. 2 के कार्यालय मे दिनांक 21.01.2021 को कृषि सामन्य क्षेणी योजना में विधुत कनेक्शन चाहने बाबत् पत्रावली प्रस्तुत की थी। श्रीमान् के न्यायालय में निराधार बेबुनियाद व काल्पनिक तथ्यों को आधार मानकर मिथ्या वाद/प्रा. पत्र दायर किया है।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र सुने जाने का निवेदन करने पर बहस प्रा. पत्र बगौर सुनी गई।

वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि, प्रा. पत्र से सम्बन्धित मूल वाद स्थाई निषेधज्ञा का है जो मजबूत आधारों पर पेश है। न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दिनांक 11.07.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा के आदेश भी दिये गये है। राजीनामें के आधार पर पूर्व मे पारित निर्णय की अपील अनावेदक द्वारा ही राजीनामा दोषपूर्ण व विधिसम्मत नही होना बताकर की गई है। जिसमे विचारण न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत नही मानकर अपीलार्थीगण द्वारा अपील पेश की है, इसलिये जब अपीलार्थी पर (राजीनामे के आधार पर) ,विबन्ध का सिद्वांत लागू नही होता है तो अन्य राजीनामे से सम्बन्ध पक्षकारों पर भी लागू नही होता है।निर्णय दिनांक 09.10.2001 के खारिज होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया परिवर्तन/अंकन भी कानूनी निष्प्रभावी हो जाता है। आवेदकगण की और से धारा 144 के तहत प्रा. पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा निर्णय दिनांक 09.10.2001 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये अंकन को परिवर्तन कर पूर्व स्थिति कायम करने आदेश दिये गये है, इस प्रकार से उक्त खसरा नं. की भूमि वादी के हक अधिकार की है इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष में है। यदि अनावेदक सं. 1 विवादित भूमि का किसी प्रकार से विक्रय करता है तो अपूर्णिय श्रति भी आवेदकगण को होगी।

इसलिये सोटवारां पटवार हल्का सोटवारां की सरहद में नई खाता सं. 38 की भूमि खसरा नं. 490 रकबा 1.64 है0, खसरा नं. 491 रकबा 0.22 है0 के सबंध में ताफैसला दावा अनावेदकगण को मौके एंव रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। वकील आवेदक ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेज मय सूची पेश किये तथा एक नजीर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/7394 व 7395/2006 जयपुर, उनवानी सांवरमल बनाम किस्तुरमल वगै0 निर्णय दिनांक 04.01.2007 पेश की गई।

वकील अनावेदक सं. 1 द्वारा विरोध करते हुये तथा अपने जवाब प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की लिखित राजीनामा दिनांक 09.10.2001 को दावे के पक्षकारों ने कभी नकारा नही है और ना ही पक्षकारान ने उक्त राजीनामे को सक्षम न्यायालय मे चुनौति दी जाकर निरस्त करवाया है। उक्त राजीनामे से सभी पक्षकार पाबन्द है। इसलिये उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

राजीनमा पक्षकार विबन्ध के सिद्वान्त से पाबन्द है। आवेदकगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर वाद/प्रा. पत्र पेश किया है जो निरस्त योग्य है। अपील सं. 193/2001 जो न्यायालय के निर्णय 09.10.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में पक्षकारान द्वारा राजीनामा दिनांक 09.10.2001 को कोई चुनौति नही दी गई थी और न ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा वाद में किये गये राजीनामा को निरस्त किया है। बल्कि अपीलीय न्यायालय ने विधि विरूद्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2001 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया है। उक्त प्रकरण विचाराधीन रहते नया वाद व प्रा. पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है, इसलिये आवेदगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र विधि विरूद्व होने से पोषणीय नही है। लिखित राजीनामा, राजीनामा के पक्षकारान के विरूद्व विबन्धकारी है। इसलिये कोई निषेधज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदक को उक्त वाद/प्रा. पत्र पेश करने का कोई वादकारण नही है इसलिये भी प्रा. पत्र खारिज योग्य है। आवेदकगण ने प्रस्तुत वाद में प्रा. पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी के सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है और ना ही पूर्व से विचाराधीन वाद श्रवण सिंह बनाम भंवर सिंह मु. नं. 142/2022 को पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार थें इसलिये प्रा. पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव मे पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। इसलिये उक्त प्रा. पत्र खारिज कर दिया जावे। वकील अनावेदक सं. 1 ने अपने कथनों के समर्थन में प्रा. पत्र सं. 21/2026 के निर्णय दिनांक 20.07.2018 की प्रति पेश की गई।

विद्वान वकुलान फरीकेन द्वारा प्रस्तुत नजीर व बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली से सम्बन्ध अन्य पत्रावली सं. मु.नं. 142/2011 उनवानी श्रवणसिंह बनाम भंवर सिंह का भी न्यायालय में तलब कर अवलोकन किया गया। प्रकरण में आदेश दिनांक 11.07.2024 द्वारा मौके एंव रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का अन्तरीम स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। पक्षकारान में मूल वाद स्थाई निषेधज्ञा का विचाराधीन है, इसके अतिरिक्त एक अन्य वाद मु.नं. 142/2011 उनवानी श्रवणसिह बनाम भंवर सिंह जो घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा का भी विचाराधीन है। जिनके पक्षकारों की सुनवाई की जाकर हक अधिकार तय होने है। न्यायालय को प्रा0 पत्र 212 आर.टी.ए.के न्याय निर्णय हेतु प्रथम दृष्ट्या मामला ,सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू तय किया जाना आवश्यक प्रतित होता है।

1. प्रथम दृष्ट्या मामलाः– आवेदक द्वारा विवादित भूमि में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करने तथा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने तथा आवेदक का प्रा. पत्र धारा 144 का स्वीकार होने से पूर्व स्थिति बहाली के आदेश होने, प्रकरण से सम्बध अन्य वाद घोषणार्थ,दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा का पक्षकारान में विचाराधीन रहते हुये उक्त वाद/प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। अतः विवादित भूमि में आवेदक का हित निहित होने से प्रथम दृष्ट्या मामला पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

2. सुविधा का सन्तुलन :–विवादित भूमि मे आवेदक का पृथम दृष्ट्या मामला होने तथा हित निहित होने से सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष मे ही बनता है।
3. अपूर्णीय क्षतिः– प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष मे होने से अपूर्णीय क्षति होना भी आवेदक के पक्ष मे ही बनता है।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोजों, प्रस्तुत नजीर, व अन्य सम्बध वाद मु.नं. 142/2011 उनवानी श्रवणसिह बनाम भंवर सिंह का अवलोकन करने से यह स्पष्ट जाहिर है की पक्षकारान में हक अधिकारों को लेकर विवाद का पूर्ण रूप से निपटारा नही हुआ है। जहॉ तक राजीनामे पर पक्षकारान के विबन्ध का प्रश्न है तो विबन्ध विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजीनामे से निर्णित वाद की अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करते समय भी था, पक्षकारों द्वारा राजीनामे को गलत व विधिविरूद्व बताकर तथा अपने कथनों व अभिवचनों से परे जाकर विबन्ध के सिद्वात का उलघंन किया है और तद्पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चूका है, अतः पूर्ववर्ती राजीनामे के कथनो व अभिवचनों पर विबन्ध के सिद्वात की व्याख्या करना व इसे अब इस प्रा. पत्र पर लागू करना उचित नही रह जाता है। मूल वाद का निस्तारण दोनो पक्षो की साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना है अतः इस प्रा. पत्र के स्तर पर विबन्ध के सिद्वान्त व आदेंश 02 नियम 02 के तहत उठाये गये तथ्यों को वाद की सुनवाई व बहस में उठाया जा सकता है। यहॉ यह आवश्यक है कि,वाद के विचाराधीन रहते हुये यदि किसी प्रकार से मौके एंव रिकार्ड की स्थिति का परिवर्तन होता है अथवा किसी प्रकार का हस्तान्तरण किया जाता है तो पक्षकारों मे वाद की बाहुलता बढने से इनकार नही किया जा सकता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस प्रकरण में दिनांक 11.07.2024 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा आदेश को तादौराने निस्तारण, मूल वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु कन्फर्म/पुष्ठ किया जाता है। ग्राम सोटवारां पटवार हल्का सोटवारां की सरहद में नई खाता सं. 38 की भूमि खसरा नं. 490 रकबा 1.64 है0, खसरा नं. 491 रकबा 0.22 है0 के सबंध में ताफैसला दावा अनावेदकगण को मौके एंव रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा मूल वाद सं. 113/2024 के साथ नत्थी रहेगी। आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू